राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,
"आबकारी भवन", 2 गुमानियावालां, पंचवटी, उदयपुर (राजस्थान) 313 001
Fax 0294-2523124, Phone (Section)-2527086 EXT. -126 E-mail : policy.ho.excise@rajasthan.gov.in.

क्रमांक F.32(B)(Model Shop)EX/L/2025-26-05066-7633536/ 149 दिनांकः–9.06.2025

–: आदेश :–

आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2025–29 के प्रावधान संख्या 2.18 के सन्दर्भ में राज्य में जयपुर तथा अन्य शहरों में आवश्यकतानुसार वातानुकूलित आदि की सुविधायुक्त मॉडल शॉप वार्षिक गारन्टी राशि पर ऑनलाईन नीलामी/ई–बिड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवंटित की जायेगी। इन मॉडल शॉप्स के संचालन के कम में विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार होगें :–

पात्रता

1. आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक गारन्टी राशि के आधार पर शहरी क्षेत्रों में ही शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, चिन्हित स्थानों पर मॉडल शॉप हेतु अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा।
2. राज्य में Retail off मदिरा दुकानों का अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित पात्रता के अनुसार ही मॉडल शॉप के आवंटन/संचालन के लिये होगी।
3. आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 के प्रावधान 2.5 के अनुरूप किसी व्यक्ति/व्यापारिक संस्था को यदि किसी जिलें में दो दुकानें एवं सम्पूर्ण राज्य में पॉच दुकानें आवंटित हो चुकी है, तो वह मॉडल शॉप के लिये पात्र नहीं होगे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति/व्यापारिक संस्थान को एक जिलें में दो मॉडल शॉप और सम्पूर्ण राज्य में 5 मॉडल शॉप (कम्पोजिट मदिरा समूहों सहित) से ज्यादा आवंटित नही की जाएगी।

नियम/शर्तें

1. मॉडल शॉप का संचालन राज्य में जयपुर व अन्य शहरों आवश्यकता अनुसार किया जायेगा। इनकी आवश्यकता का आंकलन किया जाकर शहर वार संख्या का निर्धारण किया जायेगा।
2. राज्य में शहरीय क्षेत्र जयपुर शहर में 05, जोधपुर में 02, उदयपुर में 02, माउन्ट आबू व आबूरोड एवं अन्य शहरों में एक–एक मॉडल शॉप आवंटित की जायेगी। जयपुर शहर हेतु निर्धारित मॉडल शॉप (कुल पांच) निम्नानुसार क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में एक स्थापित की जा सकती है :–

S.No.	Area for location	Nagar Nigam Wards covered
1	Vidhyandhar Nagar, V.K.I., Sikar Road, Murlipura etc	Greater Ward No. 7,8,10,17,18,20,21,22,25,26,27
2	Raja Park, Adarsh Nagar, M.D. Road, Galta Gate, Agra Road, Transport Nagar, Janta Colony, Kukas etc.	Heritage Ward No. 60 to 62, 74-100, Greater Ward No. 148 to 149, Kukas
3	Vaishali, Chitrakoot, Bhankrota, DCM etc.	Greater Ward No. 41 to 42, 49 to 64
4	Jhalana, Mallviya Nagar, Mansarover, Sanganer Jagatpura, etc ,	Greater Ward No. 65 to 87, 100 to 119
5	JLN, Tonk Road, Airport Area, Sms stadium etc	Greater Ward No. 125 to 147, 150

3. मॉडल शॉप की न्यूनतम रिजर्व प्राईस जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउन्टआबू तथा आबूरोड के लिये राशि रूपये 1 करोड प्रति मॉडल शॉप तथा अन्य शहरों के लिए राशि रूपये 50 लाख प्रति मॉडल शॉप निर्धारित की गई है।

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 14:54:25 IST
Reason: Approved

4. मॉडल शॉप का आवंटन ऑनलाईन ई–नीलामी/ई–बिड के माध्यम से निर्धारित शर्तो एवं प्रक्रिया से किया जायेगा ई–नीलामी/ई–बिड से प्राप्त अधिकतम बोली उस मॉडल शॉप की वार्षिक गारन्टी राशि होगी।

5. मॉडल शॉप हेतु आवेदन शुल्क, धरोहर राशि, अमानत राशि, वार्षिक लाईसेन्स फीस एवं अग्रिम गारन्टी राशि निम्नानुसार होगी :–

क्र. सं.	विवरण	राशि (रूपय में)
1	आवेदन शुल्क	50,000/–
2	धरोहर राशि	वार्षिक गारन्टी राशि का 8 प्रतिशत
3	अमानत राशि	आरक्षित राशि का 2 प्रतिशत एवं बोली अनुसार Dynamic
4	वार्षिक लाईसेन्स फीस	वार्षिक गारन्टी राशि का 5 प्रतिशत
5	अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि	वार्षिक गारन्टी राशि का 5 प्रतिशत

नोट – अमानत राशि बोली अनुसार Dynamic भी रहेगी अर्थात यदि कोई ई–नीलामी/ई–बिडदाता 1.00 करोड के विरूद्व 1.20 करोड ई–नीलामी/ई–बिड प्रस्तुत करेगा तो उसे 1.20 करोड की 2 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी।

6. मॉडल शॉप हेतु निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक को प्रकिया शुल्क 2000/– एवं उपरोक्तानुसार आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि ऑनलाईन जमा कराना होगा।

7. सफल बोलीदाता/निविदादाता को मॉडल शॉप के लिये स्वीकृत निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि की 8 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (Security Deposit) बोली/निविदा स्वीकार होने की दिनांक (ई–नीलामी/निविदा दिवस को छोडकर) से 05 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, के भीतर जमा करानी होगी।

8. सफल बोलीदाता/निविदादाता को वर्ष 2025–26 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का 05 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि के रूप में नीलामी/निविदा की बोली स्वीकार होने के 05 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, में राजकोष में जमा करानी होगी।

9. सफल बोलीदाता/निविदादाता को वार्षिक गारन्टी राशि की 5 प्रतिशत राशि वार्षिक लाईसेंस फीस के रूप में जमा करानी होगी जिसकी आधी राशि (50 प्रतिशत राशि) बोली स्वीकार होने के 05 कार्यदिवस या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, में राजकोष में जमा करानी होगी। शेष 50 प्रतिशत राशि 30 सितम्बर तक राजकोष में जमा करानी होगी।

10. <u>सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि (Earnest Money) को संबंधित मॉडल शॉप की धरोहर राशि पेटे समायोजन किया जा सकेगा।</u>

11. मॉडल शॉप की वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित गारन्टी राशि को वर्ष के शेष माह के बराबर बांटा जाकर तद्नुसार प्रतिमाह प्रीमियम श्रेणी की मदिरा का उठाव करना होगा।

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 14:54:25 IST
Reason: Approved

12. मॉडल शॉप्स का शॉपिंग मॉल तथा अन्य कम्पलेक्स या चिन्हित स्थानों पर स्थापित करने हेतु जयपुर शहर में न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट तथा अन्य जिलों में न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गफीट का होना आवश्यक होगा।

13. मॉडल शॉप की किसी रिटेल ऑफ (Retail Off) शॉप से जयपुर शहर में कम से कम 300 मीटर एवं अन्य शहरों में कम से कम 200 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। इसी प्रकार दो मॉडल शॉप के बीच कम से कम 2000 मीटर की दूरी होना आवश्यक है।

14. मॉडल शॉप शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, चिन्हित स्थानों पर ही अनुमत होगी।

15. इन दुकानों पर प्रीमियम मदिरा, हैरिटेज मदिरा, प्रीमियम वाईन व प्रीमियम बीयर तथा Accessories का ही विक्रय अनुमत होगा।

16. मॉडल शॉप के लिए मदिरा की प्रीमियम श्रेणी निम्नानुसार होगी :—

1	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	विक्रय मूल्य रू. 1500/—प्रति बोटल (750 एम.एल.) एवं उस ब्राण्ड के अनुरूप लघु धारिता की राशि सहित या उससे अधिक मूल्य के मदिरा ब्राण्डस।
2	बीयर	विक्रय मूल्य रू. 200/—प्रति बोटल (650 एम.एल.) एवं उस ब्राण्ड के अनुरूप लघु धारिता की राशि सहित या उससे अधिक मूल्य के समस्त ब्राण्डस।
3	विदेशी मदिरा एवं बीयर (BII & BIO) दोनो प्रकार की	समस्त प्रकार की विदेशी मदिरा एवं विदेशी बीयर सभी मूल्य वर्ग की।
4	वाईन एवं आर0टी0डी0	सभी मूल्य वर्ग के सभी ब्राण्डस।
5	हेरिटेज मदिरा	समस्त प्रकार की राजस्थान निर्मित हेरिटेज मदिरा सभी मूल्य वर्ग की।

17. इन शॉप्स पर बिलिंग हेतु POS मशीन लगाना एवं उससे बिल जारी करना अनिवार्य होगा।

18. मॉडल शॉप्स पर CCTV कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा जिसमें न्यूनतम एक माह की रिकॉडिंग सुरक्षित रखी जानी अनिवार्य होगी।

19. मॉडल शॉप्स पर ग्राहकों की सुविधा हेतु होलोग्राम स्कैनर बीप मशीन इत्यादि लगाना अनिवार्य होगा।

20. मॉडल शॉप का संपूर्ण एरिया वातानुकूलित एवं वॉक—इन की सुविधायुक्त होना आवश्यक होगा ।

Signature valid

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 14:54:25 IST
Reason: Approved

21. मॉडल शॉप्स Walk in Pattern के आधार पर संचालित होगी जिसमें ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार ब्राण्ड का निरीक्षण कर चयन करेगा एवं काउंटर पर भुगतान करने के पश्चात् संबंधित ब्राण्ड की डिलीवरी प्राप्त करेगा। मदिरा के स्टॉक को दुकान में व्यवस्थित रूप से रखना होगा। विक्रय की जानी वाली विभिन्न ब्राण्डस की मदिरा को दुकान के भीतर उचित रूप से प्रदर्शित (Display) करना होगा।

22. मदिरा दुकान पर मदिरा के प्रचार–प्रसार हेतु किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रतिबंधित होगा ।

23. मॉडल शॉप्स में मदिरापान की अनुमति नहीं होगी।

24. मॉडल शॉप्स के संचालन का समय राज्य में संचालित अन्य मदिरा दुकानों के समान प्रातः10 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक रहेगा एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुष्क दिवसों पर संचालन पूर्णतयाः बंद रहेगा।

25. मॉडल शॉप्स पर राज्य में अनुमोदित ब्राण्ड्स का विक्रय ही अनुमत होगा। मॉडल शॉप द्वारा RSBCL के डिपोज से अनुमोदित प्रीमियम ब्राण्ड्स क्रय करना आवश्यक होगा।

26. अनुमोदित प्रीमियम ब्राण्ड्स की अनुमोदित MRP से अधिक पर विक्रय अनुमत नहीं होगा।

27. मॉडल शॉप को राज्य में संचालित आबकारी बोण्ड से सीधे ही आयातित विदेशी मदिरा (BIO) नियमानुसार क्रय करने की भी अनुमति होगी तथा आयातित विदेशी मदिरा (BIO) को स्थानीय होटल बार/रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञाधारियों के साथ ऑकेजनल अनुज्ञप्तिधारी को भी विक्रय किया जा सकेगा।

28. विभाग द्वारा क्रमिक रूप से आकस्मिक अनुज्ञप्तिधारी के लिए बिल कम परमिट अनिवार्य किया जाएगा। अतः आकस्मिक अनुज्ञप्तिधारी को प्राथमिकता से मदिरा विक्रय की जावे।

29. अनुज्ञाधारी द्वारा मदिरा के विभिन्न ब्रॉण्डस के अधिकतम खुदरा मूल्य को प्रदर्शित करते हुए मदिरा दुकान में सहज दृश्य स्थल पर सुस्पष्ट मूल्य सूची लगाई जायेगी ।

30. मॉडल शॉप्स की लोकेशन स्वीकृत कराने हेतु नियमानुसार संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को दुकान की अवस्थिति का स्पष्ट मानचित्र फोटो मय अधिकार साक्ष्य प्रस्तुत/अपलोड करने पर ऑनलाईन लोकेशन अनुमत की जा सकेगी।

31. अनुज्ञाधारी द्वारा मॉडल शॉप का सफलतापूर्वक संचालन करने एवं किसी प्रकार की विभागीय बकाया देय नही होने पर आगामी वर्ष हेतु नवीनीकरण का विकल्प होगा।

32. अनुज्ञाधारी का मॉडल शॉप पर ''मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'' का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

33. मॉडल शॉप को स्वच्छ रखना होगा तथा नियमित रूप से साफ–सफाई रखनी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 14:54:25 IST
Reason: Approved

34. मॉडल शॉप्स पर आबकारी अधिनियम 1950 के प्रावधान एवं उसके अधीन जारी सभी नियम/उपनियम, आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2025–29 तथा राज्य में संचालित अन्य मदिरा दुकानों के समान लागू होंगे एवं उक्त नियमों की पालना के पर्यवेक्षण का अधिकार आबकारी विभाग में निहित होगा।

35. आबकारी अधिनियम 1950 के प्रावधान एवं उसके अधीन जारी नियम/उपनियम/ दिशा–निर्देश आदि की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापत्र निरस्त करने का अधिकार आबकारी विभाग को होगा ऐसी स्थिति में जमा लाइसेंस फीस जब्त कर ली जायेगी।

36. मॉडल शॉप्स के माध्यम से किया जाना वाला समस्त व्यवसाय विभागीय सॉफ्टवेयर Integrated Excise Management System (IEMS-2.0) के माध्यम से संचालित होगा।

(शिवप्रसाद नकाते)
आबकारी आयुक्त,राजस्थान

क्रमांक F.32(B)(Model Shop)EX/L/2025-26-05066-7633536/149 दिनांकः–9.06.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति), आबकारी विभाग, उदयपुर
5. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, उदयपुर।
6. कार्यकारी निदेशक, राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
7. महाप्रबंधक, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, जयपुर।
8. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन (समस्त), राजस्थान।
9. जिला आबकारी अधिकारी (समस्त), राजस्थान।
10. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), उदयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

आबकारी आयुक्त,राजस्थान

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.09 14:54:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15713842